न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 08 / 2021 (2021 / 12)

अपीलार्थिनी

1. श्रीमती रामेश्वरी पुत्री स्व0 राजेन्द्रराम, जाति जाट, निवासी – ग्राम दईकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।
2. श्रीमती प्रेमलता पुत्री स्व0 राजेन्द्रराम, जाति जाट, निवासी – ग्राम दईकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. श्रीमती सीता पत्नी स्व0 राजेन्द्रराम, जाति जाट, निवासी – ग्राम दईकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर। हाल निवासी – बनाड़ रेल्वे स्टेशन, बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर
2. नायब तहसीलदार, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 07 दिनांक 12.12.1993 ग्राम डावचाप्याउ, पटवार हल्का दईकड़ा, तहसील जोधपुर, जो नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री बलवीर चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 01)

–: आदेष :– दिनांक :– 12.10.2021

अपीलार्थीपक्ष ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 07 दिनांक 12.12.1993 ग्राम डावचाप्याउ जो नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 राजेन्द्रराम पुत्र पुनाराम, जाति जाट, निवासी दईकड़ा के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 878 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा राजस्व ग्राम डावचाप्याउ, पटवार हल्का दईकड़ा, तहसील जोधपुर में आई हुई है। राजेन्दराम का काफी वर्षों पूर्व देहान्त हो गया जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 07 पत्नी श्रीमती सीता व नाबालिग पुत्र प्रेमसिंह जरिये कुदरती वली माता श्रीमती सीता के नाम ही स्वीकृत हुआ। अपीलार्थीगण का नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं किया गया जबकि अपीलार्थीगण भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान है, से व्यथित होकर अपील मीमो मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट पक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 04.10.2021 को सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थिनी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि स्व0 राजेन्द्रराम पुत्र पुनाराम, कौम जाट, निवासी दईकड़ा के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 878 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा राजस्व ग्राम डावचाप्याउ, पटवार हल्का दईकड़ा, तहसील जोधपुर में आई हुई है। राजेन्दराम का काफी वर्षों पूर्व देहान्त हो गया जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 07 पत्नी श्रीमती सीता व नाबालिग पुत्र प्रेमसिंह जरिये कुदरती वली माता श्रीमती सीता के नाम ही स्वीकृत हुआ। अपीलार्थीपक्ष का नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं किया गया जबकि अपीलार्थीगण भी हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 08 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान थी। प्रेमसिंह उर्फ प्रेमाराम पुत्र स्व0 राजेन्द्रराम अविवाहित फौत हो गया जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 23.05.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम इन्द्राज हुआ। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जावें तथा अपीलार्थीगण का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ खसरा नं0 878 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम डावचाप्याउ में खातेदार के रूप में इन्द्राज किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी संख्या 01 व 02 उसकी जायन्दा पुत्रियाँ है तथा उनका नाम मेरे नाम के साथ राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाता है तो उसे कोई एतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थीपक्ष अभिभाषक ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलार्थीगण को प्रथम बार जानकारी दिनांक 26.01.2021 को पटवारी से नामान्तरकरण संख्या 07 की नकल लेने पर प्राप्त हुई। अपीलार्थीगण महिला के साथ–साथ अशिक्षित है इस कारण रिकॉर्ड के इन्द्राज से अनभिज्ञ रही। जनवरी माह में अपीलार्थीगण को खातेदारी भूमि के संदर्भ में दस्तावेजात की जरूरत महसूस हुई तब दिनांक 26.01.2021 को हल्का पटवारी दईकड़ा से मांग की गई तब हल्का पटवारी ने बताया की फौतेदगी नामान्तरकरण में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया है। अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह सद्भाविक है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का कोई विरो[illegible]र एतराज नहीं किया। अतः अपील में जो विलम्ब के कारण बतलाये गये है वो [illegible] होने से विलम्ब क्षमा योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है। यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थीगण मृतक राजेन्द्र की जायन्दा पुत्रियाँ है। राजेन्द्र के फौत हो जाने पर उसकी पत्नी सीता व पुत्र प्रेमसिंह नाबालिग वली माता सीता के नाम से अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जबकि अपीलार्थीगण श्रीमती रामेश्वरी व श्रीमती प्रेमलता स्व0 राजेन्द्र की जायन्दा पुत्रियाँ का नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने बतलाया कि मृतक राजेन्द्रराम का पुत्र प्रेमसिंह अविवाहित फौत हो गया है। अपीलार्थीगण हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक राजेन्द्र की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण 07 दिनांक 12.12.1993 ग्राम डावचाप्याउ जो नायब तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह मृतक राजेन्द्रराम पुत्र पुनाराम कौम जाट के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested